How to get help to be safe from abuse

दुर्व्यवहार से सुरक्षित होने के लिए सहायता कैसे ली जाए

एबयूज़ (दुर्व्यवहार) तब कहा जाता है जब कोई किसी को दुख पहुंचाने के लिए, अशांत करने के लिए अथवा उन को भयभीत करने के लिए कुछ करता है अथवा कहता है। दुर्व्यवहार इस प्रकार हो सकता है :

- जान बूझ कर कुछ करना, अथवा बिना इरादे के, शायद उस बात की बाबत पूर्ण रूप से समझ ना होनी
- कुछ ऐसी चीज़ जो एक बार अथवा बार बार होती है
- अपराध

एबयूज़ कहीं भी, किसी समय हो सकता है तथा किसी द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि:

- किसी पार्टनर अथवा संबधी द्वारा
- किसी मित्र अथवा पड़ोसी द्वारा
- पैसे लेने वाले केयरर अथवा वालंटियर केयरर द्वारा
- ऐसे लोगों द्वारा जो ऐसी सर्विसिज़ ले रहे हैं
- किसी ऐसे मनुष्य द्वारा जो पोज़ीशन आफ़ ट्रस्ट में है
- किसी अजनबी द्वारा

एबयूज़ कई प्रकार का है :

- **फ़िज़ीकल एबयूज़** में शायद शामिल है, किसी को हिट करना, चपेड़ मारनी, किक करना, और तरीकों से चोट पहुंचानी, कमरे में बंद कर देना, पकड़ कर नीचे दबा कर रखना अथवा दवाई देने में दुरूपयोग करना
- **इमोश्नल एबयूज़** तब होता है जब कोई किसी को दुख पहुँचाता है, भयभीत करता है अथवा उसे मेहसूस करवाता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह आप पर चिल्लाना हो सकता है, आप का मज़ाक उड़ाना हो सकता है, आप को गाली देना हो सकता है, आप को धमकीयां देना हो सकता है, आप को अपने परिवार अथवा मित्रों से मिलने नहीं देना अथवा आप को सोशल मिडिया पर बुली करना हो सकता है।
- **सैकशुयल एबयूज़** तब होता है जब आप को किसी लिंगक क्रिया में भाग लेने के लिय मजबूर किया जाता है जब कि आप उस में भाग नहीं लेना चाहते। इस में शामिल है रेप, अशोभनीय प्रदर्शन करना, लिंगक उतपीड़न करना, अनुपयुक्त ढ़ंग से देखना अथवा छूना, लिंगक छेड़ छाड़ करनी तथा लिंगक फ़ोटोग्राफ़ी करनी। यह तब भी होता है जब आप के ना चाहने पर भी कोई आप को सैकस (काम भावना) वाली तस्वीरें अथवा वीडिओज़ दिखाता है।
- **फाईनैंनशीयल अथवा मैटीरियल एबयूज़** का अर्थ यह है कि जब कोई पूछे बगैर आप की कोई चीज़ ले जाता है अथवा आप को उनको चीज़े देने के लिय मजबूर कर देता है। इस में शायद चोरी, धोखा तथा शोषण करना शामिल है।

- **निगलैकट** का अर्थ यह है कि जब आप को सहायता की आवश्यकता होती है आप को वह नहीं दी जाती। इस में शायद यह कुछ हो सकता है जैसे आप को अपनी दवाई ना देनी अथवा आप को आप की केयर नीडज़ ना देना, आप को पर्याप्त फ़ूड ना देना अथवा आप की धार्मिक अथवा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को नकारना।

- **डिसकरिमीनेटरी एबयूज़** का अर्थ है जब कोई आप के साथ बुरा व्यवहार करता है जिस का आधार आपकी आयु, लिंग, लिंगक रूचि, डिसेबिल्टी, नसल अथवा धार्मिक विश्वास है जो उस से भिन्न है। इस को कभी-कभी **हेट क्राइम** कहते हैं।

- **माडर्न सलेवरी** में शामिल है हयूमन ट्रैफ़ेकिंग तथा फोर्सड लेबर। यह तब होता है जब किसी को बहुत थोड़े पैसे अथवा बगैर पैसों के काम करने के लिय मजबूर किया जाता है अथवा यदि वह ना काम करें तो उन के साथ हिंसा की जाती है।

  यदि कोई संगठन एबयूज़ करता है तो इस को **आरगेनाइज़ेशनल एबयूज़** कहतें हैं।

  जब पार्टनरज़ के बीच अथवा किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा एबयूज़ होता है, तो इसे **डोमैस्टिक वायेलैंस (घरेलू हिंसा) तथा एबयूज़** कहते हैं।

  सैल्फ निगलैक्ट का अर्थ है जब कोई मनुष्य अपनी देखभाल नहीं कर सकता तथा अपने आप को समर्थन स्वीकार करने में अक्षम समझता है जिस से उन का स्वास्थय और भलाई बहुत अधिक प्रभावित होंगे।

<u>किस को जोखिम है</u> ?

किसी को भी एबयूज़ अथवा निगलैकट (उपेक्षा करनी) किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ बालग अपने आप को एबयूज़, निगलैकट से अपनी आयु, डिसेबिल्टी अथवा बीमारी, मानसिक स्वास्थय, डरग अथवा एलकोहल (नशीले पदार्थ या शराब) के गलत सेवन के कारण अथवा किसी और बीमारी के कारण अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम ना हों। ऐसे लोगों के समर्थन के लिए विशेष सहायता उपलब्ध है ताकि यह लोग सुरक्षित रहें।

<u>जो कुछ आप कर सकते हैं</u>

- याद रहे कि एबयूज़ सदा ही गलत है और यह किसी को भी बर्दाशत नहीं करना चाहिए।
- अपनी चिंताओं की रिपोर्ट करा कर आप एबयूज़ को रोक सकते हैं।
- सहायता लेने वाले निर्णय में उस मनुष्य को शामिल करने की कोशिश करें जिस को एबयूज़ किया जा रहा है।
- जिस मनुष्य को एबयूज़ किया जा रहा है उसको बताएँ के सहायता उपलब्ध है। आप उनको यह फैकट शीट दे सकते हैं।
- यदि किसी को चोट लग जाती है तो शायद आप को उन्हें डाकटर के पास ले जाने के लिए अथवा एंबुलैंस बुलाने के लिए सहायता देने की आवश्यकता हो।

आप सदा ही परामर्ष कर सकते हैं- यह कुछ आप गुप्त रूप में कर सकते हैं।

एबयूज़ की बाबत रिर्पोट कैसे की जाए अथवा सलाह लें

लीडज़ एडलट सोशल केयर के साथ संपर्क करें **0113 222 4401** (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक)

वीकएंडज़, बैंक हालीडेज़ तथा और सभी समयों पर आप एमरजैंसी डयूटी टीम को फोन कर सकते हैं
0771 210 6378

डैफ ब्रिटिश साईन लैंगुएज (बी एस एल) का प्रयोग करने वाले साईन वीडीओ को एकसैस करें
www.leeds.gov.uk/BSLlive

डोमैस्टिक वायेलैंस तथा एबयूज़ की बाबत परामर्ष, समर्थन और जानकारी **www.ldvs.uk** पर उपलब्ध है अथवा 24 घंटे की हैल्पलाईन को फोन करें **0113 246 0401**

एबयूज़ की रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है ?

जब आप एबयूज़ की रिपोर्ट करते हैं तो लोग यह करेंगे :

- आप की बात सुनेंगे और आप की चिंताओं को गंभीरता से लेंगे
- संवेदनशीलता से उत्तर देंगे
- चिंताओं की बाबत पूछताछ करेंगे
- वह विचार करेंगे कि जिस को एबयूज़ अथवा निगलैकट (नज़रअंदाज़) किया जा रहा है वह क्या चाहता है, तथा उनके बदलावों की प्राप्ति करने तथा भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए सहायता देंगे
- विचार करेंगे कि कोई और तो जोखिम में नहीं है
- आवश्यकता के अनुसार दूसरी एजैंसियों से बात करेंगे

और अधिक जानकारी आनलाईन पर उपलब्ध है www.leedssafeguardingadults.org.uk

अपराध की रिपोर्ट करने के लिए

एमरजैंसी में, पुलिस को **999** पर फोन करें

यदि कोई मनुष्य तात्कालिक खतरें में नहीं है तो, पुलिस को **101** पर फोन करें

Produced July 2018

HINDI